

Ref: RRCAT/LBAD/RMC/Circular/01/2023/ 243

April 9th, 2024

परिपत्र / CIRCULAR

आरआरकेट की अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना (CHSS) के लाभार्थियों के लिए आरआरकेट एम्बुलेंस सुविधा का लाभ उठाने हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

General Guidelines for RRCAT CHSS beneficiaries to avail RRCAT ambulance facility

इसे ऊपर उद्धृत विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 29-02-2024 के परिपत्र के स्थान पर जारी किया जा रहा है।

This is being issued in supersession to this office's circular dated 29-02-2024 on the subject cited above.

आरआरकेट एम्बुलेंस को आरएमसी में उसके निर्धारित स्थान पर चौबीसों घण्टे (यानि 24x7) पार्क किया जाएगा।

The RRCAT Ambulance will be parked round the clock (i.e. 24 X 7) at RMC at its designated place.

आरआरकेट चिकित्सा केन्द्र (आरएमसी) में तैनात आरआरकेट एम्बुलेंस एवं उसके चालकों की नियन्त्रण अधिकारी सहायक कार्मिक अधिकारी (आरएमसी), लेसर जैवचिकित्सा अनुप्रयोग प्रभाग हैं।

The controlling officer of the RRCAT Ambulance deployed at the RRCAT Medical Centre (RMC) and its drivers is the Assistant Personnel Officer (RMC), Laser Biomedical Applications Division.

आरआरकेट एम्बुलेंस के चालक प्रभारी, चिकित्सा केन्द्र को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे और चिकित्सा केन्द्र पर निर्दिष्ट स्थान पर रहेंगे। प्रभारी, चिकित्सा केन्द्र की अनुपस्थिति के दौरान, आरआरकेट एम्बुलेंस के चालक चिकित्सा केन्द्र के उपलब्ध वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे।

The drivers of the RRCAT ambulance will be reporting for duty to In-Charge, RMC and will be available at the designated place at RMC dispensary. During the absence of In-Charge, RMC, drivers of RRCAT ambulance will be reporting for duty to the next senior Medical Officer of RMC

आरएमसी के कार्यालय समय के दौरान यानि सप्ताह के दिनों में सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) और शनिवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, सीएचएसएस लाभार्थी केवल आरएमसी चिकित्सक की सिफारिश / अनुमोदन पर एम्बुलेंस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

On weekdays (Monday to Friday), during office hours of RMC i.e. from 8.00 AM to 8.00 PM and on Saturdays from 9.00 AM to 4.00 PM, the CHSS beneficiaries can avail the ambulance facility only on recommendation / approval of the RMC doctor.

आरएमसी के कार्यालय समय के अलावा और छुट्टियों पर, सीएचएसएस लाभार्थी आरएमसी एम्बुलेंस ड्राइवर्स के लिए निर्दिष्ट स्थान के टेलीफोन नंबर (एक्सटेंशन: 7454) पर फोन करके एम्बुलेंस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, आरआरकेट लाभार्थियों को केवल चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में ही एम्बुलेंस सुविधा का उपयोग करना चाहिए।

Beyond office hours of RMC and on holidays, the CHSS beneficiaries can avail the ambulance facility by calling on telephone number (extn.: 7454) of the designated place meant for the ambulance drivers of RMC. However, the RRCAT beneficiaries can avail the ambulance facility only in case of medical emergency.

एम्बुलेंस सुविधा का उपयोग केवल रोगी को (जो सीएचएसएस लाभार्थी है) राराप्रौके के पैनल में शामिल अस्पताल/क्लिनिक में स्थानान्तरित करने के लिए किया जाना चाहिए। किसी रोगी को गैर-सूचीबद्ध अस्पताल/क्लिनिक में स्थानान्तरित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

The ambulance facility should be availed only for transfer of a patient (who is a CHSS beneficiary) to a hospital/ clinic empanelled with RRCAT. For transferring a patient to the non-empanelled hospital/ clinic, the approval of the competent authority will be mandatory.

रोगी को अस्पताल छोड़ने के बाद, एम्बुलेंस को राराप्रौके को वापस रिपोर्ट करने के लिए जल्द-से-जल्द छोड़ा जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, सीएचएसएस लाभार्थी द्वारा एम्बुलेंस को अस्पताल में नहीं रोका जाना चाहिए।


After dropping of the patient at the hospital, the Ambulance should be released at the earliest to report back to RRCAT. Under no circumstances, the Ambulance should be held up at the hospital by the CHSS beneficiary.

आरआर केट लाभार्थियों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध होगी | जो सीएचएसएस लाभार्थी आरआरकेट कालोनी से बाहर रहते हैं, वे आपातकालीन चिकित्सा परिस्थिति में प्राइवेट एम्बुलेंस की सुविधा ले सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उन्हें एम्बुलेंस शुल्क भुगतान की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

The ambulance facility will be available on "first-come-first-served" basis only for the RRCAT beneficiaries staying in RRCAT colony. The beneficiaries who are staying outside the RRCAT colony can hire private ambulance in case of medical emergency, the charges against which will be reimbursable on production of necessary documentary proof.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से कार्यान्वयन हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the Competent Authority implementing with immediate effect.


(वर्षा चं. कदम)

सहायक कार्मिक अधिकारी (चिकित्सा केन्द्र, राराप्रौके)
लेसर जैवचिकित्सा अनुप्रयोग प्रभाग, राराप्रौके

प्रति / To,

- समस्त सूचना पट्ट / All Notice Board
- मेल ऑल / Mail All
- प्रभारी, राराप्रौके चिकित्सा केन्द्र / In-charge, RRCAT Medical Centre
- प्रमुख, संगणक प्रभाग, राराप्रौके / Head, Computer Division, RRCAT : (इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को पेंशनर कॉर्नर और कर्मचारी कॉर्नर पर राराप्रौके की वेबसाइट पर अपलोड करें / With a request to upload the Circular on Pensioner's and Employee's Corner on RRCAT Website)
- निदेशक कार्यालय, राराप्रौके / Director's Office, RRCAT
- अध्यक्ष, एसीआरएमसी एवं सदस्य / Chairman and Members of ACRMC
- महासचिव, केटसा / General Secretary, CATSA
- महासचिव, केटगंगा / General Secretary, CATGANGA
- प्राचार्य, एईसीएस, राराप्रौके / Principal, AECS, RRCAT